महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(65)ग्रावि/नरेगा/2014 जयपुर, दिनांक : 18 JUL 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समयबद्ध श्रम भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।**
प्रसंगः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 12.06.2014 एवं 10.07.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाडा समाप्ति के पश्चात अकुशल श्रमिको को 15 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.07.2014 के अनुसार दिनांक 01.09.2014 से अकुशल श्रम के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में श्रम भुगतान के साथ साथ विलम्ब की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान श्रमिक को करना होगा, तदुपरान्त क्षतिपूर्ति राशि की वसूली दोषी कार्मिक से की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी किये है, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। अतः प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अकुशल श्रम के समय पर भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1. **<u>पखवाडा समाप्ति उपरान्त मस्टररोल भुगतान हेतु तय समय सीमा में संबंधित कार्मिक द्वारा कार्य करना (Muster Roll Tracking System for time bound unskilled labour payment)</u>** :–

1.1 मस्टररोल पूर्ण होने से लेकर एफटीओ जनरेट करने तक विभिन्न स्तरों पर कार्मिको द्वारा निम्नानुसार समय लिया जावेगाः–

क.सं.	कार्य चरण	निर्धारित (अधिकतम) दिवस	उत्तरदायी कार्मिक
1	मेट से ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सचिव/कार्यकारी संस्था द्वारा मस्टररोल प्राप्त करना	पखवाड़ा समाप्ति का ठीक अगले दिन	ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक /कार्यकारी संस्था का कार्मिक
2	सचिव/रोजगार सहायक द्वारा JTA/JEN को माप हेतु मस्टररोल देना	पखवाड़ा समाप्ति के दो दिन में	ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक कार्यकारी संस्था का कार्मिक
3	JTA/JEN द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज के पश्चात पंचायत समिति को लौटाना	पखवाड़ा समाप्ति के 6 दिन में	JTA/JEN/कार्यकारी संस्था का अभियंता

4	पचायत समिति में मस्टररोल फीडिंग एवं वेजलिस्ट जारी कराकर ग्राम पंचायत/ कार्यकारी संस्था को पासआर्डर लगाने के लिए देना	पखवाड़ा समाप्ति के 9 दिन में	एमआईएस मैनेजर/लेखा सहायक, पंचायत समिति
5	कार्यकारी संस्था/पंचायत द्वारा मस्टररोल पर पासआर्डर लगाकर मस्टररोल पंचायत समिति को प्रेषित करना	पखवाड़ा समाप्ति के 11 दिन में	ग्राम सचिव/ग्राम रोजगार सहायक / कार्यकारी संस्था का कार्मिक
6	पंचायत समिति द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड वेज लिस्ट से एफटीओ जारी कराना।	पखवाड़ा समाप्ति के 12 दिन में	एमआईएस मैनेजर/डीईओ पंचायत समिति
7	एफटीओं पर सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करना।	पखवाड़ा समाप्ति के 14 दिन में	सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार
8	एफटीओ पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वित्तीय संस्थान/बैंक को श्रमिक के खाते में भुगतान हेतु ऑन लाईन भिजवाना।	पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिन में	विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी

1.2 उपरोक्तानुसार मस्टररोल ट्रेकिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराऐं। विभिन्न स्तरों पर होने वाले विलम्ब की गणना नरेगा सॉफ्ट द्वारा स्वतः ही की जाकर विलम्ब की क्षतिपूर्ति राशि तथा **विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिक का निर्धारण** किया जावेगा।

1.3 सभी अधीनस्थ कार्मिको को मस्टररोल की ट्रेकिंग अवधि की विधिवत सूचना दी जाए एवं उन्हे **लिखित** में यह सूचित किया जावे कि अकुशल श्रमिको को विलम्ब से भुगतान की स्थिति में देय क्षतिपूर्ति राशि दोषी कार्मिको से वसूल की जाएगी।

1.4 यदि किसी मस्टररोल पर कोई श्रमिक नियोजित नही किया जाता है तो उक्त मस्टररोल को 3 दिवस पश्चात पंचायत समिति कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए, ताकि एमआईएस में शून्य उपस्थिति की सूचना अपलोड की जाकर उक्त मस्टररोल बकाया मस्टररोल की संख्या से कम हो सके।

1.5 निर्धारित अवधि में मस्टररोल फीड कर वेजलिस्ट जनरेट की जाऐं। तदुपरान्त एफटीओं जनरेट किया जाये एवं प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय पर इसकी जांच की जावे। इस कार्यवाही तक एमआईएस पर फण्ड उपलब्धता संबंधी कोई चेक नही है। **अतः एफटीओं जनरेट करने की कार्यवाही निर्धारित समय पर सुनिश्चित करवायें।**

2. <u>विलम्बित भुगतान हेतु देय क्षतिपूर्ति (Compensation for delayed payment):</u>

2.1 अकुशल श्रमिको को विलम्ब से भुगतान की स्थिति में श्रमिको को देय क्षतिपूर्ति राशि की गणना प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से की जावेगी।

2.2 निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में विलम्ब से भुगतान के लिए कार्मिक की जिम्मेवारी नही मानी जाएगी :–

i. यदि भुगतान अथोरिटी स्तर पर निधि (Funds) की उपलब्धता नही हो।

ii. अकुशल श्रम का समय पर भुगतान कर दिया गया है लेकिन एमआईएस पर सूचना प्रदर्शित नही हो पा रही है।

iii. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में।

3. <u>उपलब्ध स्टाफ का कुशल नियोजन (Efficient Staff Deployment):–</u>

3.1 समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर तथा कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति स्तर पर नियोजित स्टाफ को कार्य की आवश्यकता के अनुसार कुशलता से नियोजित किया जाए एवं उन्हें तय समयसीमा से भी अवगत कराया जाए।

4. <u>इंटरनेट कनेक्टीविटी की उपलब्धता (Availability of Internet connectivity) :–</u>

4.1 वेज लिस्ट/एफटीओ जनरेट करने के लिए ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट कनेक्टीविटी की समस्या हो तो समीप के ब्लॉक पर अथवा जिले पर वेजलिस्ट/एफटीओं जनरेट कराने की कार्यवाही कराई जाए।

5. <u>जिलेवार बकाया मस्टररोल एवं वेजलिस्ट की स्थिति (District wise pending Muster rolls and Wage lists) :–</u>

5.1 वर्तमान में अकुशल श्रम के भुगतान में जिलेवार विलम्ब की स्थिति **परिशिष्ट–2** पर संलग्न की जा रही है। **जिला अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बून्दी, डूंगरपुर, जोधपुर, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में विलम्ब की स्थिति अत्यधिक गम्भीर है।** अतः भविष्य में अकुशल श्रम के समय पर भुगतान हेतु हर संभव प्रयास किए जाए।

5.2 अकुशल श्रमिकों से संबंधित बकाया मस्टररोल की संख्या एवं बकाया वेज लिस्ट से संबंधित विवरण **परिशिष्ट–3** पर प्रदशित हैं, जिसके अनुसार **51489** मस्टररोल ऐसे है, जो कि नियत तिथि (Due date) के बाद भी एमआईएस पर फीड नहीं किये गये है।

5.3 **परिशिष्ट–3** के अनुसार 28776 मस्टररोल ऐसे है जिनकी देय तिथि के बाद भी वेजलिस्ट जारी नही की गई है। **जिला अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ आदि जिलों में विलम्ब की स्थिति अधिक पाई गई है।** जिला स्तर पर प्रतिदिन उक्त सूचना एमआईएस से प्राप्त कर उसकी गम्भीरता से समीक्षा की जावे तथा **परिशिष्ट–3** के रूप में संलग्न रिपोर्ट के कॉलम संख्या 11 एवं 14 में प्रदर्शित मस्टररोल की संख्या को शून्य किया जाए।

6. <u>अकुशल श्रम के समय पर भुगतान हेतु कार्य योजना **(Action Plan for timely payment of unskilled labour)** :–</u>

6.1 विलम्ब से भुगतान के बकाया प्रकरणों हेतु **15 जुलाई से 31 अगस्त 2014 तक विशेष अभियान संचालित** किया जाना हैं। अतः इसकी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ठोस कार्य योजना बनायी जाए।

6.2 सभी जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाऐ कि **30 जून 2014 तक पूर्ण हुये मस्टररोल के एफटीओं 31 जूलाई, 2014 तक जनरेट कर दिये जाऐ, 15 जूलाई 2014 तक पूर्ण हुए मस्टररोल के एफटीओ 15 अगस्त 2014 तक तथा 15 अगस्त 2014 तक के पूर्ण मस्टररोल के एफटीओ 31 अगस्त, 2014 तक जनरेट कर दिये जाऐ।**

6.3 ईएफएमएस खाते के माध्यम से किये जा रहे भुगतान में रिजेक्ट होने वाले लेन–देनों में समस्याओं का शीघ्र समाधान कराकर पुनः एफटीओं अविलम्ब जारी कराया जावे।

7. <u>एमआईएस के माध्यम से निगरानी व धारा–25 के अन्तर्गत शास्ति की कार्यवाही **(Monitoring through MIS and Imposition of Penalty)**:–</u>

7.1 जिला एमआईएस मैनेजर एवं ब्लॉक एमआईएस मैनेजर का यह उत्तरदायित्व होगा कि एमआईएस पर **प्रदर्शित Report on E-Mustroll and Wagelist generated for financial year 2014-15** का एमआईएस से प्रिन्ट प्राप्त कर उसे अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाये।

7.2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उपरोक्त रिपोर्ट के द्वारा ऐसे ब्लॉक्स को चिन्हित करेगा जहां पर मस्टररोल की सर्वाधिक बकाया कॉलम संख्या 11 एवं 14 में प्रदर्शित हो रही हैं तथा ऐसे ब्लॉक्स को नोटिस जारी किया जाकर आगामी कार्य दिवस तक बकाया मस्टररोल के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7.3 विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे मस्टररोल जो कि दिनांक 30 जून 2014 तक पूर्ण हो चुके है, लेकिन लेकिन एमआईएस पर प्रदर्शित **Report on E-Mustroll and Wagelist generated for financial year 2014-15** में दिनांक 31.07.2014 में बकाया प्रदर्शित हो रहे है, उसके लिए दोषी कार्मिकों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट निम्न प्रारूप में दिनांक 10.08.2014 तक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा इसकी एक प्रति जरिये ई–मेल **caoegs@gmail.com** पर प्रेषित की जायेगीः–

क्र. सं.	मस्टररोल क्रमांक	मस्टररोल की अवधि	विलम्ब के लिए उत्तरदायी कार्मिक

7.4 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सभी पंचायत समितियों से उक्त रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समेकित सूचना पंचायत समितिवार तैयार कर दिनांक 14.08.2014 तक जरिये ई–मेल **caoegs@gmail.com** पर प्रेषित की जायेगी।

7.5 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ऐसे कार्मिकों को संक्षिप्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा–25 के अन्तर्गत शास्ती की कार्यवाही दिनांक 31.08.2014 तक पूर्ण की जायेगी।

8. **<u>क्षतिपूर्ति भुगतान की अनिवार्यता 01.09.2014 से (Commencement of delay compensation) :</u>**

8.1 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में **दिनांक 01.09.2014 से नरेगा सॉफ्ट में नये एफटीओं पर द्वितीय हस्ताक्षर** (कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी) की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि पुराने प्रकरणों में विलम्ब से भुगतान हेतु देय क्षतिपूर्ति के बारे में कोई निर्णय नहीं कर दिया जाता हैं।

अतः सभी जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी बकाया मस्टररोल के बाबत विशेष अभियान संचालित कर सघन कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग कर यह प्रयास करेंगे कि पूर्ण हुये मस्टररोल बिन्दु संख्या 6 में वर्णित कार्य योजना के अनुसार एमआईएस पर फीड होकर उनके एफटीओं नियत तिथि तक जारी हो सके तथा किसी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़े एवं अकुशल श्रम में होने वाले विलम्बित भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हों।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(श्रीमत् पाण्डेय) 1/7
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
10. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

आयुक्त, ईजीएस

No. J-11011/05/2014-RE-I (FTS-36629)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi-110114
Dated 11th June, 2014

To

The Principal Secretary/Secretary,
(In-charge MGNREGA),
All States/UTs.

Sub: Guidelines on compensation for delayed wages payments-reg.

Sir/Madam,

Para 29 of the Revised Schedule II of MGNREGA, 2005 vide Notification No. S.O. 19(E) dated 3rd January, 2014 has laid down a detailed procedure for establishing a delay compensation system. As per the system, MGNREGA workers are entitled to receive delay compensation at a rate of 0.05% of the unpaid wages per day for the duration of the delay beyond the sixteenth day of the closure of the Muster Roll.

2. As per provisions under Para 29 of the Revised Schedule II, MGNREGA, 2005 draft guidelines on the delay compensation system were formulated and circulated to all States/UTs seeking comments vide letter No. FTS 17134/14-MGNREGA dated 22nd May, 2014. The same was also placed before Performance Review Committee (PRC) for detailed discussion in its meeting held on 5th June, 2014 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

3. Accordingly, the Guidelines on the delay compensation system have been finalized and forwarded herewith with a request to take appropriate action for immediate compliance.

Yours faithfully,

(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary (MGNREGA)
Tele. No. 23385027

Encl.: As above

GUIDELINES FOR COMPENSATION FOR DELAYED WAGE PAYMENTS

1. Payment of wages

The Section 3 of the MGNREG Act 2005 laid down that wages shall be paid to the MGNREGA workers within 15 days from the date of closure of the Muster Roll (MR). The Schedule of the Act provides that the wages are to be paid to the workers through their savings accounts in the relevant banks or post offices, unless any relaxation is granted by the Ministry of Rural Development.

2. Compensation due to delay in payment of wages

Para 29, Schedule II of MGNREGA 2005 has laid down a detailed procedure for establishing a delay compensation system. As per the system, MGNREGA workers are entitled to receive delay compensation at a rate of 0.05% of the unpaid wages per day for the duration of the delay beyond the sixteenth day of the closure of the MR.

3. Calculation of compensation

3.1 The Programme Management Information System – NREGASoft has a provision to automatically calculate the compensation payable to the MGNREGA workers based on the date of closure of the MR and the date of generation of the pay order for paying wages. The details of compensation payable in each case are displayed on www.nrega.nic.in automatically updated daily.

3.2 The delay wage payment logic of NREGASoft examines the following in order to arrive at the compensation payable to MGNREGA workers:

(a) date of payment of wages
(b) date of closure of MR
(c) the duration of such delay
(d) total wage payable
(e) rate of compensation (i.e. 0.05%)

4. Prompt Verification of the delay compensation

4.1 Every Programme Officer (PO) shall, within 15 days from the date of the delay compensation became due, decide whether the compensation that has been automatically calculated by the NREGASoft is payable or not. The POs will ensure that compensation claims are settled during this time and such claims will not be allowed to be accumulated without decision. The DPC will monitor this regularly.

4.2 For the above purpose, compensation payable shall be decided by the PO except in case of the following circumstances:

(a) Funds are not available at the paying authority level.
(b) Compensation not due: (wages have been paid in time, but details not entered in MIS).
(c) Natural calamities

4.3 In all cases of rejection, the PO shall give detailed reason(s) for rejection in the NREGASoft.

4.4 All cases approved for payment of compensation as stated above shall be moved for generation of wage slip followed by uploading of Fund Transfer Order (FTO) in the same manner as the wages are paid.

5. Responsibility for operationalizing the system

5.1 The State Government shall be responsible for identifying various processes to be completed between the time muster is closed and wage payment if made and notifying the (a) process (b) functionary/agency responsible for completing the process and the (c) period for completing the process. These details are to be uploaded in NREGASoft so that the IT system automatically calculates the liability of each functionary/agency in case of a delayed payment.

5.2 It shall be the duty of such designated DPC or PO to (a) identify step-wise processes and sub-processes leading to determination and payment of wages (b) fix activity-wise maximum time limits and (c) allocate responsibilities to the functionary/agency in the discharge of their specific function as identified/fixed under the system.

6. Financing Compensation

6.1 The compensation shall be met from the State Employment Guarantee Fund (State Component) upfront, subject to recovery from the functionaries/agencies concerned.

6.2 For accounting for the compensation paid, a separate account within SEGF shall be maintained and reflected in the MIS under eFMS.

6.3 It shall be the duty of the designated DPC or PO to follow the extant recovery procedure to recover the compensation amount so paid under the system from the functionaries/agencies responsible for such delay in payment of wages. The amount so recovered shall be deposited into the account opened for the purpose of payment of compensation.

7. Action under the Payment of Wages Act

Wherever cases have been filed in the designated Labour Courts by the aggrieved workers seeking relief as per Payment of Wages Act, and if compensation has been paid for the same delay under Para 29 of the Schedule II of MGNREGA, the State Government can place such details before the Competent Authority under the Payment of Wages Act for an appropriate decision.

*****

No. K-11011/2/2008-NREGA TS-NREGASoft
Government of India
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan New Delhi
Dated 10th July 2014

To
All Special CS/ Prl. Secretaries/ Secretaries of Rural Development/PR (in charge of MGNREGA)

Subject: Payment of compensation for delays in wages

Sir/Madam,

In accordance with the provisions of Para 29 of Schedule II of MGNREGA, detailed guidelines have been issued on calculation, approval and payment of compensation for the delayed wages. In the recently concluded PRC, the matter was discussed at length and it was found that the except for Maharashtra and Chhattisgarh, in no State, the Programme Officers have been examining the delayed cases, which reflects poorly on the monitoring of the scheme in many States. During the PRC it has been decided to show **'zero tolerance' for delays** in wage payments; and that States should identify areas where delays have been occurring and tighten the system without any further loss of time.

2. In accordance with the above decision, all States are requested to organize a **drive from 15th July to 31st Aug 2014 to clear all the backlog cases of delay recorded in the NREGASoft**, duly orienting/guiding the Programme Officers in the matter.

3. It is proposed that with effect from 1st September 2014, the **NREGASoft will not allow the signing of any FTO by the second signatories if there are more than 15 days' old cases of delay for deciding (i.e. either approval or rejection for reasons to be recorded) as reflected in the database.** In all such cases, the PO should go to the pending delayed cases and decide on the causes of delay; and then only will the system allow generation of the fresh FTOs.

4. Further, the system has been configured in such a way that data entry for the new musters would continue to take place without any hindrance. This is to ensure that generation of new FTOs would not get delayed in future cases.

5. You are requested to inform the above provisions to all the POs and FTO generation authorities immediately; and train them if necessary in the matter.

Yours faithfully

(R. Subrahmanyam)
JS, MGNREGS (RE-I)

Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
07-Jul-2014

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Delayed Payment
Financial Year - 2014-2015
State : RAJASTHAN

Unit (Rs. in Lakhs)

S.No	District	Delayed Payment Between 15-30 Days		Delayed Payment Between 30-60 Days		Delayed Payment Between 60-90 Days		Delayed Payment more than 90 Days		Total Delayed Payment		Total Payment For Financial Year2014-2015	
		Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved	Total Transactions	Amount Involved
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	AJMER	99875	1050.81	11857	118.95	276	3.34	0	0	112008	1173.1	**150047**	1588.51
2	ALWAR	18594	252.62	665	9.5	0	0	0	0	19259	262.12	**66324**	897.31
3	BANSWARA	370888	3789.69	115287	1046.18	923	6.48	0	0	487098	4842.35	**607998**	6148.49
4	BARAN	61412	614.43	12935	114.6	171	1.7	0	0	74518	730.72	**167583**	1726.11
5	BARMER	107817	1330.99	6613	76.99	6	0.12	0	0	114436	1408.1	**298994**	3854.94
6	BHARATPUR	27322	349.59	4005	48.36	197	2.03	0	0	31524	399.98	**47669**	605.77
7	BHILWARA	141406	1338.32	30293	272.55	354	3.22	0	0	172053	1614.09	**273047**	2578.59
8	BIKANER	41086	476.03	3060	28.81	5	0.05	0	0	44151	504.89	**108788**	1334.27
9	BUNDI	54109	525.29	13074	124.12	71	0.72	0	0	67254	650.13	**86902**	858.84
10	CHITTORGARH	28516	304.72	6019	64.16	12	0.14	0	0	34547	369.02	**103131**	1096.06
11	CHURU	30109	248.94	91	1.43	1	0.01	0	0	30201	250.38	**183421**	1640.79
12	DAUSA	29793	326.21	8452	90.38	373	5.32	0	0	38618	421.9	**54211**	600.44
13	DHOLPUR	19438	214.4	1729	17.18	0	0	0	0	21167	231.57	**38518**	438.88
14	DUNGARPUR	478569	4381.25	34145	298.84	1585	11.77	0	0	514299	4691.86	**826722**	7698.56
15	HANUMANGARH	11576	131.2	146	1.93	23	0.27	0	0	11745	133.39	**120797**	1385.31
16	JAIPUR	62305	671.41	2624	23.11	0	0	0	0	64929	694.52	**99095**	1091.86
17	JAISALMER	20360	343.09	6325	68.98	0	0	0	0	26685	412.07	**39396**	629.52
18	JALORE	61951	624.22	11945	113.99	15	0.18	0	0	73911	738.39	**140525**	1455.12
19	JHALAWAR	72156	828.87	1550	19.37	39	0.37	0	0	73745	848.61	**135391**	1530.98
20	JHUNJHUNU	3854	47.97	7	0.08	0	0	0	0	3861	48.06	**34946**	462.82
21	JODHPUR	87977	958.08	17420	184.22	132	1.59	0	0	105529	1143.9	**139851**	1548.61
22	KARAULI	18526	258.48	13880	189.16	600	6.89	0	0	33006	454.53	**37283**	519
23	KOTA	87304	1040.4	535	5.39	0	0	0	0	87839	1045.79	**149152**	1747.38
24	NAGAUR	147649	1740.17	30675	353.45	144	2.15	0	0	178468	2095.77	**236087**	2839.15
25	PALI	50884	497.17	5505	50.59	102	0.84	0	0	56491	548.61	**132160**	1252.02
26	PRATAPGARH	43864	416.77	13355	112.58	1900	14.94	0	0	59119	544.28	**125305**	1220.93
27	RAJSAMAND	59379	630.14	3499	36.96	46	0.47	0	0	62924	667.57	**118853**	1299.32
28	SAWAI MADHOPUR	13353	147.22	4703	62.54	998	13.48	0	0	19054	223.24	**27047**	299.6
29	SIKAR	12899	156.05	348	4.3	0	0	0	0	13247	160.35	**69452**	857.95
30	SIROHI	3827	46.02	22	0.19	4	0.02	0	0	3853	46.23	**89467**	935.95
31	SRI GANGANAGAR	10862	128.98	208	2.31	11	0.15	0	0	11081	131.44	**52078**	614.45
32	TONK	19115	184.2	1070	9.12	0	0	0	0	20185	193.31	**59945**	571.19
33	UDAIPUR	147212	1350.34	25665	202.76	3026	22.67	0	0	175903	1575.76	**359798**	3452.52
		2443987	25404.07	387707	3753.08	11014	98.92	0	0	2842708	29256.03	**5179983**	54781.24

Excel View

Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

07-Jul-2014

Report on E-Mustroll and Wagelist generated for financial year 2014-2015

State : RAJASTHAN

S.No	District	NO. of Muster Roll for UnSkilled				NO. of Muster Roll for Skilled/SemiSkilled				NO. of Muster Roll Not Filled in due date (For UnSkilled)	WageList		
		Issued	Filled	Zero attendance MusterRoll	Total Muster Roll Filled	Issued	Filled	Zero attendance MusterRoll	Total Muster Roll Filled		Generated	No of Muster Roll covered	Nos. of Muster Rolls WageList not generated within due date
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14
1	AJMER	69360	32587	2736	35323	7726	2941	0	2941	4223	3135	27801	3915
2	ALWAR	18688	10303	2736	13039	4531	2555	0	2555	317	3147	10107	100
3	BANSWARA	142053	92227	8384	100611	21421	11872	0	11872	9232	16420	84384	6149
4	BARAN	43333	25744	3984	29728	4725	2727	0	2727	898	3074	25352	222
5	BARMER	74770	42149	6425	48574	20561	5520	0	5520	3046	12375	39611	1747
6	BHARATPUR	26234	10259	1433	11692	9309	1401	0	1401	3771	1776	9191	787
7	BHILWARA	78678	43696	5985	49681	9480	4856	0	4856	6550	8274	39810	3166
8	BIKANER	27864	14977	5467	20444	2560	1469	0	1469	516	4020	14287	414
9	BUNDI	29826	16469	5111	21580	5096	3156	0	3156	538	3561	16134	297
10	CHITTORGARH	33909	18078	5588	23666	5672	3193	0	3193	434	4348	17865	57
11	CHURU	41410	25681	2275	27956	7482	4643	0	4643	346	4930	25103	32
12	DAUSA	17168	9322	2962	12284	3295	2015	0	2015	475	2406	9038	210
13	DHOLPUR	15872	7638	1236	8874	2228	1171	0	1171	353	1322	5992	1446
14	DUNGARPUR	131344	96098	8457	104555	13608	9311	0	9311	741	11174	95212	569
15	HANUMANGARH	35239	17746	3162	20908	6477	3460	0	3460	362	3551	17169	75
16	JAIPUR	31509	16903	4135	21038	5706	2671	0	2671	649	4730	16410	289
17	JAISALMER	14349	6908	1717	8625	3924	1604	0	1604	1493	2579	6488	393
18	JALORE	32725	19842	1265	21107	4190	2656	0	2656	691	2720	19486	260
19	JHALAWAR	36895	18884	3514	22398	5835	3299	0	3299	3675	3551	17886	532
20	JHUNJHUNU	9596	5889	652	6541	3428	1853	0	1853	192	2458	5819	34
21	JODHPUR	43617	23990	1402	25392	5828	1143	0	1143	2809	4224	22497	1142
22	KARAULI	15694	7506	1873	9379	2029	630	0	630	1178	1290	6648	623
23	KOTA	33201	21376	1339	22715	4320	2652	0	2652	1351	2808	20431	541
24	NAGAUR	66784	37899	2833	40732	7489	4098	0	4098	2538	5284	35143	1999
25	PALI	35159	19308	2670	21978	5171	2988	0	2988	688	3319	18451	568
26	PRATAPGARH	30166	19953	1727	21680	3526	2066	0	2066	515	2363	18684	1194
27	RAJSAMAND	30807	18690	1610	20300	4952	3153	0	3153	286	4383	18369	183
28	SAWAI MADHOPUR	14994	5987	2599	8586	5049	1874	0	1874	1183	1872	5294	445
29	SIKAR	17501	9873	2122	11995	3417	2048	0	2048	161	2806	9768	66
30	SIROHI	18574	11342	594	11936	2501	1563	0	1563	113	1621	11305	5
31	SRI GANGANAGAR	25496	12040	3979	16019	7784	5331	0	5331	344	5352	11612	128
32	TONK	20665	10603	2366	12969	2784	1287	0	1287	715	1477	9732	729
33	UDAIPUR	68010	45222	6567	51789	9301	6121	0	6121	1106	12550	44482	459
	Total	1331490	775189	108905	884094	211405	107327	0	107327	51489	148900	735561	28776

Excel View